

कार्यालय: जिलाधिकारी, लखनऊ।

संख्या- 1480

/आठ-अ0जि0अ0(भू0अ0), सं0सं0, लखनऊ,

दिनांक:- 30.9.2021

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 11 की अधिसूचना

“भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 11 की उप धारा (1) के अधीन कलेक्टर लखनऊ की राय है, कि लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अमर शहीदपथ से चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक एलीवेटेड फ्लाई ओवर मार्ग के संरक्षण में एलीवेटेड फ्लाई ओवर निर्माण हेतु जिला लखनऊ में ग्राम बेहसा की 637.323 वर्ग मीटर भूमि की अत्यावश्यकता है।”

2- परियोजना हेतु प्रस्तावित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 40 के प्रावधान लागू होंगे।

3- प्रस्तावित भूमि के अर्जन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 40 लागू किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 9 में दी गयी छूट के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी, जैसा कि अधिनियम की धारा 40 की उप धारा 4 में वर्णित है।

4-अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचना करने के लिए सहर्ष सहमति देते हैं।

अनुसूची

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	नाम काशतकार/पिता/पति का नाम	स्थायी पता	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
लखनऊ	सरोजनी नगर	बिजनौर	बेहसा	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता पुत्र श्री बी0एल0 गुप्ता	307/161, मातादीन रोड, सआदतगंज, लखनऊ	1064मि0	20.55
				श्री मनीष सैनी पुत्र स्व0 देवराज सैनी	559/के एच ए/87/ श्रीनगर, श्रंगार नगर के पास आलमबाग, लखनऊ	1064मि0	91.52
				श्रीमती ममता राय पत्नी श्री मुन्ना कुमार राय	कोतवाली कृष्णानगर, टाइप-1, कमरा नं0-1, कानपुर रोड, लखनऊ	1064मि0	101.011
				श्री राकेश कुमार यादव पुत्र श्री हीरा लाल यादव	582-क/के एन 1064-5ए न्यू बेहसा, सरोजनीनगर, लखनऊ	1064मि0	91.142
				श्रीमती दीपाली गोयल पत्नी श्री अंकित गोयल	ए-160 ओमैक्स सिटी, शहीदपथ लखनऊ	1064मि0	111.75
				श्रीमती रोशनी कुमारी पत्नी श्री अशोक गुप्ता	ग्राम धनगुवा, पो0 धौरडीन्हा, जिला सेतास, बिहार	1064मि0	111.65

			श्री मोती राय पुत्र श्री बंशी राय	म0नं0 4 टाइप 3 एयरपोर्ट कालोनी, हिन्द नगर, कानपुर रोड, लखनऊ	1068	109.70
					योग	637.323

- 5- अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिए तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिए समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिए राज्यपाल कलेक्टर को प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।
- 6- प्रस्तावित भूमि के अर्जन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा 40 लागू किये जाने के कारण, अधिनियम की धारा 40 की उप धारा 4 के अनुसार अध्याय 2 से अध्याय 6 के उपबन्ध लागू किया जाना अनिवार्य नहीं है।
- 7- अधिनियम की धारा 11(4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार यथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी:- उक्त भूमि का स्थलीय नक्शा कलेक्टर, लखनऊ के कक्ष संख्या-42 स्थित कार्यालय में देखा जा सकता है।

(अभिषेक प्रकाश)
जिला कलेक्टर,
लखनऊ।

सं0 व दिनांक उपरोक्तानुसार।

उपर्युक्त अधिसूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर मुख्य सचिव, राजस्व अनुभाग-13, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- अपर मुख्य सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 4- निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
- 6- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय प्रेस, प्रयागराज।

प्रभातिल

जिला कलेक्टर,
लखनऊ।

जिला कलेक्टर
(भूमि अध्याप्ति)
पुस्तक मगठन, कमरा नं०-4.
ब्लैकटेड, लखनऊ